राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(55) नविवि / 3 / 07 जयपुर दिनांक 17.12.07

:: परिपत्र ::

विषय :– सार्वजनिक व चेरिटेबल संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में नीति।

उपरोक्त संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(35) नविवि / 3 / 2007 दिनांक 14.02.2005 (विषय : सार्वजनिक व चेरीटेबल संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में नीति) में निम्न शर्तो को जोडा जाता है :–

- संस्थाओं को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है उसके अतिरिक्त उक्त भूमि का कोई अन्य उपयोग तो नहीं किया जा रहा है, इस हेतु संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित भूमि का प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जावेगा। यदि भूमि का अन्य उपयोग किया जाना किया जाना पाया जाता है तो यह आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- संस्था के कार्यरत नही रहने या अन्य संस्था में विलनीकरण होने की स्थिति में आवंटित भूमि एवं उक्त पर किए गए निर्माण बिना मुआवजे के संबंधित स्थानीय निकाय में स्वतः ही समाहित हो जावेगी।
- संस्था द्वारा रियायती दर पर आवंटित भूमि का किसी अन्य को हस्तान्तरण अवैध एवं शून्य माना जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देशों की पालना राजस्थान आवासन मण्डल एवं स्थानीय निकायों द्वारा उक्त संदर्भो में सुनिश्चित की जावेगी।
- जिन संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई है, उन संस्थाओं को आवंटन की शर्ते जिसमें आमजन हेतु रियायतों / सुविधाओं का वर्णन किया गया है का प्रदर्शन निर्मित भवन के मुख्यद्वार के पास सूचना पट्ट पर स्थायी रूप से अंकित करना होगा।

साथ ही शिक्षण संस्थाओं से एक अण्डरटेकिंग ली जावे कि शिक्षण संस्थाओं में 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग, विकलांग, शहीद सैनिकों के बच्चों व विधवाओं के बच्चों के लिए आरक्षित रखी जावें। इन 25 प्रतिशत सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 8 प्रतिशत एवं विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षित रखी जायेगी तथा शेष सीटें अन्य वर्गो के लिए आरक्षित रखी जायेगी। यदि उपरोक्त श्रेणी में से किसी एक श्रेणी में आरक्षित सीटों को भरने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है तो उन सीटों पर उपरोक्त वर्णित श्रेणी के

अन्य श्रेणी वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। उक्त सभी आरक्षित श्रेणियों के विद्यार्थियों से शिक्षण संस्थाओं की निर्धारित फीस का केवल 50 प्रतिशत राशि ही वसूल की जावेगी तथा इन शर्तों को संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी आवेदन पत्र/ प्रोसेपेक्ट्स में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जावेगा। संसथा द्वारा उक्त शर्तों की पालना करने के संबंध में वचनबद्ध पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। संस्था द्वारा शर्तों की अवहेलना किए जाने पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

वर्तमान में उक्त परिपत्र के आधार पर नगरपालिका/ नगर निगम/ नगर विकास न्यास/ जयपुर विकास प्राधिकरण/ राजस्थान आवासन मण्डल के प्रकरण निस्तारित किए जा रहे है। इस विभाग के पूर्व जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (35) नविवि/3/2007 दिनांक 14.02.2005 के प्रथम पैरा में राजस्थान आवासन मण्डल को भी जोडा जाता है।

पूर्व मे जारी परिपत्र (क्रमांक प.3 (35) नविवि/3/2007 दिनांक 14.02.2005) के साथ यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा और वर्तमान में नगरीय विकास, आवासन विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग के अधीन सभी संस्थाओं में विचाराधीन मामलों पर भी लागू होगा।

आज्ञा से

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को इस विभाग के पूर्व जारी परिपत्र क्रमांक प.3(35) नविवि/3/2007 दिनांक 14.2.2005 की प्रति भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
11. अध्यक्ष/ सचिव नगर विकास न्यास, समस्त, अजमेर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव